



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- झालावाड में सरपंच को दलाल सहित 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 11 फरवरी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झालावाड़ इकाई द्वारा आज गुरुवार को कार्यवाही करते हुये सरपंच ग्रा.पं. तीतरवासा, झालारापाटन कालूलाल को दलाल रामलाल प्रजापत (प्राइवेट व्यक्ति) सहित 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सरकार की फलैगशीप योजना मनरेगा में श्रमिकों से कार्य नहीं करवाकर जेसीबी से करवाये जाने के बावजूद मजदूरी उठाने की एवज में सरपंच ग्रा.पं. तीतरवासा, झालारापाटन कालूलाल एवं दलाल रामलाल प्रजापत (प्राइवेट व्यक्ति) द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी झालावाड़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा झालारापाटन में ट्रेप कार्यवाही करते हुये कालूलाल पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी तीतरवासा थाना सदर झालावाडा जिला झालावाड हाल सरपंच ग्रा.पं. तीतरवासा, झालारापाटन को दलाल रामलाल प्रजापत पुत्र श्री बालचंद निवासी वार्ड नं. 9 इमली गेट से आगे, झालारापाटन, जिला झालावाड को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।